



सेल SAIL

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED  
बोकारो इस्पात संयंत्र  
BOKARO STEEL PLANT  
एम.ओ.एम., चिड़िया  
MOM, CHIRIA

Ref. MOM/CGM/24-25/47

Date: 05.12.2024.

To,  
The Divisional Forest Officer  
Saranda Forest Division  
Chaibasa

**Sub: Regarding status of renewal of Mining leases with respect to Manoharpur Ore Mines, Chiria, BSL, SAIL**

**Ref :**

- i). Letter ref No. 2827, dated: 25.07.2023 from MOEFCC, GoJ
- ii). Letter ref No. 852, dated: 17.08.2023 from PCCF, GoJ
- iii). Your office letter no. MIN/MIOM/16/2019/ 1704, dated 05.09.2023
- iv). Your office letter no. MIN/MIOM/16/2019/ 2419, dated 11.11.2024

Sir,

In reference to the subject and letters referred above, it is to inform that Manoharpur Ore Mines, Chiria covering an area of 2376.122 ha comprises of six mining leases namely Ajitaburu (323.887 ha), Sukriluturburu (609.554 ha), Mclellan (823.617 ha) (also known as Budhaburu), Dhobil (513.036 ha), Ankua (67.178 ha) & Tatiburu (38.85 ha).

Out of six leases granted, mining activities have been carried out in four leases i.e. Ajitaburu lease till 1994, Mclellan till 2005, Sukriluturburu till 2009 and Dhobil is the only operating mining lease at present. Ankua & Tatiburu leases have never been operated; hence these leases are virgin and unexplored.

It is pertinent to mention that as per approved Management Plan for Sustainable Mining (MPSM) of Saranda Forest, the Mining Zones (Zone I & II) has been considered for mining and the remaining area outside the identified Mining Zones (Zone I & II) is closed for the purpose of mining except as described in para 15(b) of MPSM. The mining leases of Manoharpur Ore Mines, Chiria being the part of Ankua Reserve Forest falls outside the identified Mining Zones (Zone I & II) and hence it is closed for the purpose of mining. However, as per para 15(b) of approved MPSM, mining has been allowed to be continued in Dhobil lease within the already broken up area as it is a working mine and Stage-II FC has been granted for the broken up area.

Chiria Office : MOM Chiria, Po.-Ps : Chiria, W. Singhbhum, Jharkhand-833106, E-MAIL : momchiria@gmail.com, momperschiria@gamil.com

Head Office : Addm. Building, Bokaro Steel Plant, Bokaro City, Jharkhand - 827001

Regd. Office : Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003, Phone : +91-11-2436-7481 (14 Lines), Fax : 24367015


हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

There's a little bit of SAIL in everybody's life

**The status of extension of mining leases of Manoharpur Ore Mines, Chiria are as under:**

**1. Ajitaburu Mining Lease:**

- Ajitaburu Mining Lease covering an area of 323.887 ha was granted on 07.12.1947 for a period of 30 years validity upto 06.12.1977.
- The 1<sup>st</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 04.12.1976 for a further period of 30 years w.e.f. from 07.12.1977 to 06.12.2007. Further, State Govt. rejected the 1<sup>st</sup> renewal application by order dated 15.12.2004. The said rejection order was challenged before Mining Tribunal. By order dated 09.11.2005, Mining Tribunal quashed the rejection order of the State Govt. and further directed the State Govt. to re-consider the renewal application. However, State Govt. without considering the matter challenged the Mining Tribunal order dated 09.11.2005 by filing a writ petition before High Court of Jharkhand. SAIL filed a petition before the High Court of Jharkhand praying that the writ petition filed by the State Govt. is not maintainable as no clearance has been obtained from High Power Committee and further contended for referring the matter to High Power Committee for settlement of dispute as the case is between State Govt. and a Central PSU. The High Court of Jharkhand by order dated 25.09.2007 rejected the aforesaid petition filed by SAIL. The said order dated 25.09.2007 was challenged by SAIL before the Hon'ble Supreme Court by filing a Special Leave Petition (SLP) and by order dated 09.01.2008, the Hon'ble Supreme Court granted stay on the proceedings pending before the High Court of Jharkhand.
- The 2<sup>nd</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 04.12.2006 for a further period of 20 years w.e.f. 07.12.2007 to 06.12.2027.
- During the meeting with State Govt. on 21.08.2018, it was agreed that pending court cases will be settled amicably by withdrawing the cases from the respective courts. SAIL vide letter dated 04.12.2018 informed State Govt. that it has withdrawn the SLP from the Hon'ble Supreme Court & requested State Govt. to withdraw its case from High Court of Jharkhand. The withdrawal of writ petition by the State Govt. from High Court of Jharkhand is under process.
- Further, as per the provisions of MMDR Amendment Act, 2015 and MMGC, Rules, 2015, SAIL vide application dated 14.09.2016 and 26.03.2019 requested GoJ to extend the lease period upto 06.12.2037. Accordingly, DC, Chaibasa recommended the extension of lease period upto 06.12.2037 and forwarded the letter to Director, Mines, GoJ on 27.06.2019 for necessary action (**Annexure-I**).
- With the 4<sup>th</sup> amendment of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 made on 02.11.2021, MMGC Rules were repealed and subsumed in Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 [in short MCR, 2021]. Under these amendments, in Rule 72 sub rule (4) a deeming provision of the lease extension of Government companies has been made under which it is defined that if a pending extension application of the lease is not disposed of by the State Government before the expiry of the mining lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and Government company or corporation may continue mining operations,


  
05/12/2024

production and dispatch from such mining lease. The relevant page of MCR, 2021 is attached at **Annexure-II** for reference.

- Therefore, the validity of the Ajitaburu lease is deemed to be in effect under the relevant provisions of the MMDR Act and the rules framed there under, as explained above and as recommended by the DC, Chaibasa, until 06.12.2037.

## 2. **Sukrilutuburu Mining Lease:**

- Sukrilutuburu Mining Lease covering an area of 609.554 ha was granted on 22.03.1949 for a period of 30 years validity upto 21.03.1979.
- The 1<sup>st</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 20.03.1978 for a further period of 30 years w.e.f. from 22.03.1979 to 21.03.2009. Further, State Govt. rejected the 1<sup>st</sup> renewal application by order dated 15.12.2004. The said rejection order was challenged before Mining Tribunal. By order dated 09.11.2005, Mining Tribunal quashed the rejection order of the State Govt. and further directed the State Govt. to re-consider the renewal application. However, State Govt. without considering the matter challenged the Mining Tribunal order dated 09.11.2005 by filing a writ petition before High Court of Jharkhand. SAIL filed a petition before the High Court of Jharkhand praying that the writ petition filed by the State Govt. is not maintainable as no clearance has been obtained from High Power Committee and further contended for referring the matter to High Power Committee for settlement of dispute as the case is between State Govt. and a Central PSU. The High Court of Jharkhand by order dated 25.09.2007 rejected the aforesaid petition filed by SAIL. The said order dated 25.09.2007 was challenged by SAIL before the Hon'ble Supreme Court by filing a Special Leave Petition (SLP) and by order dated 09.01.2008, the Hon'ble Supreme Court granted stay on the proceedings pending before the High Court of Jharkhand.
- The 2<sup>nd</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 11.03.2008 for a further period of 20 years w.e.f. 22.03.2009 to 21.03.2029.
- During the meeting with State Govt. on 21.08.2018, it was agreed that pending court cases will be settled amicably by withdrawing the cases from the respective courts. SAIL vide letter dated 04.12.2018 informed State Govt. that it has withdrawn the SLP from the Hon'ble Supreme Court & requested State Govt. to withdraw its case from High Court of Jharkhand. The withdrawal of writ petition by the State Govt. from High Court of Jharkhand is under process.
- Further, as per the provisions of MMDR Amendment Act, 2015 and MMGC, Rules, 2015, SAIL vide application dated 14.09.2016 and 14.02.2018 requested GoJ to extend the lease period upto 21.03.2019 and 21.03.2039, respectively. Accordingly, DC, Chaibasa recommended the extension of lease period upto 21.03.2039 and forwarded the letter to Director, Mines, GoJ on 25.06.2019 for necessary action (**Annexure-III**).
- With the 4<sup>th</sup> amendment of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 made on 02.11.2021, MMGC Rules were repealed and subsumed in Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 [in short MCR, 2021]. Under these amendments, in Rule 72 sub rule (4) a

  
25/12/2024

deeming provision of the lease extension of Government companies has been made under which it is defined that if a pending extension application of the lease is not disposed of by the State Government before the expiry of the mining lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease.

- Therefore, the validity of the Sukrilutuburu lease is deemed to be in effect under the relevant provisions of the MMDR Act and the rules framed there under, as explained above and as recommended by the DC, Chaibasa, until 21.03.2039.

### 3. **Mclellan (Budhburu) Mining Lease:**


- Mclellan Mining Lease covering an area of 823.617 ha was granted on 08.12.1945 for a period of 30 years validity upto 07.12.1975.
- The 1<sup>st</sup> renewal of mining lease was granted by the State Govt. for further period of 30 years from 08.12.1975 to 07.12.2005.
- The 2<sup>nd</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 16.11.2004 for a further period of 20 years w.e.f. 08.12.2005 to 07.12.2025.
- Further, as per the provisions of MMDR Amendment Act, 2015 and MMGC, Rules, 2015, SAIL vide application dated 28.06.2016 and 07.03.2019 requested GoJ to extend the lease period upto 07.12.2035. Accordingly, DC, Chaibasa recommended the extension of lease period upto 07.12.2035 and forwarded the letter to Director, Mines, GoJ on 25.06.2019 for necessary action (**Annexure-IV**).
- With the 4<sup>th</sup> amendment of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 made on 02.11.2021, MMGC Rules were repealed and subsumed in Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 [in short MCR, 2021]. Under these amendments, in Rule 72 sub rule (4) a deeming provision of the lease extension of Government companies has been made under which it is defined that if a pending extension application of the lease is not disposed of by the State Government before the expiry of the mining lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease.
- Therefore, the validity of the Mclellan lease is deemed to be in effect under the relevant provisions of the MMDR Act and the rules framed there under, as explained above and as recommended by the DC, Chaibasa, until 07.12.2035.

### 4. **Dhobil Mining Lease:**

- GoJ vide letter dated 07.03.2018 extended and executed the lease period of Dhobil lease upto 07.03.2038 (**Annexure-V**).

### 5. **Ankua Mining Lease:**

- Ankua Mining Lease covering an area of 67.178 ha was granted on 14.06.1982 for a period of 10 years validity upto 13.06.1992.

  
05/12/2024

- The 1<sup>st</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 12.06.1991 for a further period of 20 years w.e.f. 14.06.1992 to 13.06.2012. Further 2<sup>nd</sup> renewal application was submitted on 08.06.2011 for a further period of 20 years w.e.f. 14.06.2012 to 13.06.2032.
- GoJ vide letter dated 29.06.2017 extended the lease period upto 13.06.2032 as per the provisions of MMGC Rules, 2015 (**Annexure-VI**).

#### **6. Tatiburu Mining Lease:**

- Tatiburu Mining Lease covering an area of 38.82 ha was granted on 01.09.1949 for a period of 30 years validity upto 31.08.1979.
- The 1<sup>st</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 28.08.1978 for a further period of 30 years w.e.f. 01.09.1979 to 31.08.2009. For renewal of the Tatiburu lease, State Govt. informed that since renewal application as well as revision application has been rejected therefore, IISCO/SAIL has lost right title and interest on the mining lease. Subsequently, through a notification dated 23.8.2005, State Govt. has thrown open the area under Tatiburu lease for grant of fresh lease.
- For quashing the notification dated 23.8.2005, a writ petition was filed by SAIL in the High Court of Jharkhand on 18.11.2005. In an interim order passed on 13.7.2006, the High Court directed that any decision of the State Govt. on settlement of the mine will be subject to the decision of the High Court. Subsequently, Hon'ble High Court vide order dated 29.11.2018 dismissed the writ petition. In this respect, LPA was filed before Hon'ble High Court on 23.01.2019. Hon'ble High Court vide order dated 20.11.2019 disposed of the matter directing the Ministry of Mines, GoI to take a decision upon the letter dated 02.06.2005 written by SAIL on the subject matter for reservation of area of Chiria in favour of IISCO if the same has not already been considered.
- Meanwhile, 2<sup>nd</sup> renewal application of mining lease was submitted to the State Govt. on 24.08.2008 for a period of 20 years w.e.f. 01.09.2009 to 31.08.2029. Further, SAIL vide letter dated 26.03.2019 requested GoJ to extend the lease upto 31.08.2039 as per the provisions of MMGC Rules, 2015.
- Ministry of Mines, GoI vide letter dated 17.02.2020 requested Ministry of Steel, GoI to furnish comments w.r.t. order dated 20.11.2019 passed by the High Court of Jharkhand. Subsequently, Ministry of Steel, GoI vide letter dated 27.02.2020 requested Chairman, SAIL to furnish comments to Ministry of Mines. Further, RCOM, IBM, Ranchi vide letter dated 24.04.2020 requested to furnish certain information w.r.t. order dated 20.11.2019 passed by Hon'ble High Court of Jharkhand. The point wise reply was submitted to IBM, Ranchi on 01.06.2020.
- With the 4<sup>th</sup> amendment of Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 made on 02.11.2021, MMGC Rules were repealed and subsumed in Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 [in short MCR, 2021]. Under these amendments, in Rule 72 sub rule (4) a deeming provision of the lease extension of Government companies has been made under which it is defined that if a pending extension application of the lease is not disposed of by the State Government before the expiry of the mining lease, the period of that lease shall be




deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease.

- Therefore, the validity of the Tatiburu lease is deemed to be extended under the relevant provisions of the MMDR Act and the rules framed there under.

With regards

For & on behalf of Manoharpur Ore Mines,  
Bokaro Steel Plant, SAIL

  
05/12/2024

Kamal Bhasker  
Chief General Manager (Mines)  
Manoharpur Ore Mines, Chiria

**Encl : as stated**



झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम का कार्यालय, चाईबासा।  
(खनन शाखा)

पत्रांक 600 / एम०  
दिनांक 27.03.2019  
07/07/19

प्रेषक,

उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

निदेशक खान,  
खान एवं भूतत्व विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय :- Application for extension of Mining Lease Period of 1.25 Sq Mile (323.887 Ha.) Mining Lease also known as Ajitaburu lease in District West Singhbhum, Jharkhand as per the provisions of Mineral (Mining by Govt. Company) Rules, 2015.

प्रसंग :- मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/RP&E/19/92 dated 26.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया प्रासंगिक पत्र (Annexure-I) का अवलोकन किया जाय जो सीधे सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को संबोधित है एवं जिसकी प्रति दिनांक 27.03.2019 को जिला खनन कार्यालय, चाईबासा को प्राप्त कराया गया है। मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, चिरिया में अवस्थित Ajitaburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेंट नं० A-10 to A-12 and A-29 कुल रकबा 1.25 Sq. Mile (Coparising an area of 323.887 Ha.) का अवधि विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रूल्स 2015 के आलोक में 06.12.2037 तक करने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स सेल द्वारा सूचित किया गया है कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि० कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2(45) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत एवं अन्य शेयर होल्डर, सेल के कर्मचारी एवं सामान्य नागरिकों का हिस्सा 25 प्रतिशत है। मेसर्स सेल के 5-इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट और 3 स्पेशल स्टील प्लान्ट के अलावे झारखण्ड एवं देश भर में कई लौह अयस्क के खदान हैं जिनके द्वारा मेसर्स सेल के विभिन्न प्लान्टों में लगातार लौह अयस्क खनिज की आपूर्ति की जाती है।

इस संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनन पट्टा, चिरिया में अवस्थित अंकुआ आर०एफ० के Compartment No A-10 to A-12 and A-29 कुल रकबा 1.25 Sq. Mile (Coparising an area of 323.887 Ha.) में धारित Ajitaburu लौह अयस्क/मैंगनीज खनन पट्टा के मूल खनन पट्टा की स्वीकृति तत्कालीन IISCO को 07.12.1947 से 06.12.1977 तक 30 वर्षों के लिए दी गयी थी।

मंत्रि

तक विस्तारित करने हेतु दिनांक 06.09.2016 को नवीकरण आवेदन नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया है।


यह खनन पट्टा द्वितीय नवीकरण आवेदन लंबित रहने के कारण Non-Working रहा है। इस संबंध में पट्टेधारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, एफ०सी० डिभिजन के पत्र दिनांक 07.3.2011 (*Annexed as annexure IV*) द्वारा Renewal of diversion of 194.312 ha. Of broken up forest land and diversion of 400.763 ha. of additional forest land (Total lease area 2376.122 ha) in favour of M/s SAIL in its Manoharpur group of mining lease in Chiria of Saranda Forest Division in West Singhbhum district of Jharkhand इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि *"Over the next 20 Years, only 25% of the total forest area being diverted (equivalent to 595.075 ha.) will be broken up, though the entire mine lease covering 2376.122 ha. Of Forestland will remain with SAIL, as at present."*

MMDR Act, 1957 के धारा 6(1)(b) के अन्तर्गत किसी पट्टेधारी को 10 Sq. Km से अधिक के खनन पट्टा हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। झारखण्ड राज्यान्तर्गत सर्वश्री सेल के कुल 12 लौह अयस्क खनन पट्टों का कुल क्षेत्रफल लगभग 69.334 Sq. Km है और इन्हें भारत सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2018 (छाया प्रति Annexure-V) के तहत 75 Sq. Km का Relaxation दिया गया है।

भारत सरकार, Ministry of Environment and Forest, IA Division के पत्र संख्या J-11015/505/2007-IA.II(M), Dated 31.03.2011 द्वारा मेसर्स सेल, Ajitaburu खनन पट्टा को 2.8 Million Tonnes का Environment Clearance प्राप्त है। (*EC Annexed as annexure VI*) भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो के पत्र संख्या RAN/WSB/Fe/MP-03/2018-19 Dated 10.07.2018 द्वारा मेसर्स सेल, Ajitaburu खनन पट्टा के Mining Plan का अनुमोदन प्राप्त है। (*Annexed as annexure VII*)

अतः मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/RP&E/19/92 dated 26.03.2019 जो सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को संबोधित है की छाया प्रति अन्य सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, घिरिया में अवस्थित Ajitaburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेन्ट नं० A-10 to A-12 and A-29 कुल रकबा 1.25 Sq. Mile (Comparising an area of 323.887 Ha.) का अचधि विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रूल्स 2015 के आलोक में 06.12.2037 तक करने हेतु विभागीय स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,



उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

## MINISTRY OF MINES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

**G.S.R. 775(E).**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral) Concession Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for the words “prospecting licence-cum-mining lease”, wherever they occur, the words “composite licence” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, in sub-rule (1),—

(i) **clause (b) and (d) shall be omitted;**

(ii) **in clause (j), the following provisos shall be inserted, namely:—**

“Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:

Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price in respect of the relevant State is not published for the entire period of the preceding twelve months, then the all India average sale price published for such mineral or mineral grade for the said twelve months shall be used:

Provided also that in case of auction of mineral block for composite licence for minerals and corresponding deposits as specified in Schedule II of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, the ‘estimated quantity of mineral resources’ shall be arrived in the following manner, namely:—

(A) the estimated quantity of mineral resources as assessed under G4 level of exploration for the mineralised area in the block shall be considered the ‘estimated quantity of mineral resources’ of the block;

(B) in case the ‘estimated quantity of mineral resources’ is not possible to be assessed under clause (A), then the same shall be arrived at by multiplying,—

(i) the average of the estimated quantity of mineral resource per hectare for the same mineral available in the mineralised area of nearby mining leases or mineral blocks having similar geological features and explored upto G3 level in accordance with the said rules; and

(ii) the mineralised area of the mineral block which is to be auctioned for composite licence.

**Explanation.**—For the purposes of this clause ‘nearby mining leases or mineral blocks’ shall mean mining leases or mineral blocks located in the same district or in any adjacent district.”

4. In the said rules, rule 5, 7 and 8 shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 9A,—

(i) in sub-rule (1), for “in respect of leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Act, within one week from the date of the notification of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Amendment) Rules, 2020” the words, figure and letter, “for the purpose of issuing vesting order for transfer and vesting of all valid rights, approvals, clearances, licences and the like in accordance with sub section (1) of section 8B” shall be substituted,

15. In the said rules, for the rule 54, the following rule shall be substituted, namely:—
- “**54. Penalty.**— (1) Any contravention of rules 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 17 [sub-rule (1)], 21 [sub-rule 4], 22 [sub-rule (2)], 23, 25, 28 to 33, 40, 50, 51, 52, 60, 61, 64 and 65 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to rupees five lakhs, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to rupees fifty thousand for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.
- (2) Any contravention of sub-rule (2) of rule 17 shall be punishable with fine for an amount as specified in Schedule XII.”.

16. In the said rules, in rule 55, Schedule V, Schedule VII and Schedule IX, for the words, figures, “Concession Rules, 2015” the words and figures, “Concession Rules, 2016” shall be substituted.

17. In the said rules, in rule 60, for heading, the following heading shall be substituted, namely:—
- “Supply of certain information to the new concession holder.”.

18. In the said rules, after rule 70, the following rules and Chapter shall be inserted, namely:—

“**71. When day of completion of any requirement is a public holiday.**— When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next working day.

**Explanation.**—The expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government or the State Government, as the case may be.

## CHAPTER XVIII

### MINING BY GOVERNMENT COMPANIES

72. **Period of mining lease granted to Government companies or corporations before 12th January, 2015.**— (1) All mining leases for minerals granted to a Government company or corporation before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), namely, the 12th January, 2015 shall be deemed to have been granted for a period of fifty years.
- (2) The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall, extend the period of the mining lease for further periods of twenty years at a time:
- Provided that the State Government may condone the delay in making of such application.
- (3) Subject to sub-rule (1), all applications made by a Government company or corporation for renewal of mining leases and which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (2).
- (4) If an application for extension of a mining lease made within the time referred to in sub-rule (2), including any application for extension of mining lease submitted before the commencement of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession (Fourth Amendment) Rules, 2021, is not disposed of by the State Government before the date of expiry of the mining lease which may take place before or after the commencement of the said Rules, the period of that lease shall be deemed to have been extended by a further period till the State Government grants extension of mining lease and the Government company or corporation may continue mining operations, production and dispatch from such mining lease:
- Provided that the Government company or corporation shall pay the amounts as specified in rule 74 upon such deemed extension.
73. **Period of mining lease granted to Government companies or corporations on or after 12th January, 2015.**— (1) All mining leases granted to a Government company or corporation for minerals shall be for a period of fifty years.



झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम का कार्यालय, चाईबासा।  
(खनन शाखा)

प्रेषक:

उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में:

निदेशक खान,  
खान एवं भूतत्व विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

Application for extension of Mining Lease Period of 609.554 Ha. (1506.24 Acr.) Mining Lease also known as Sukri-Lutuburu lease in District West Singhbhum, Jharkhand as per the provisions of Mineral (Mining by Govt. Company) Rules, 2015.

प्रसंग :-

मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/EDI/c(RMD)/8773 dated 14.02.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, कृपया प्रासंगिक पत्र (Annexure-I) का अवलोकन किया जाय जो सीधे सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को संबोधित है। मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, चिरिया में अवस्थित Sukri-Lutuburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेंट नं० A-25, A-28 to A-30 and A-40 to A-41 कुल रकबा 609.554 Ha. (Coparising an area of 1506.24 Acr.) का अवधि विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रूल्स 2015 के आलोक में 21.03.2039 तक करने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स सेल द्वारा सूचित किया गया है कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि० कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2(45) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत एवं अन्य शेयर होल्डर, सेल के कर्मचारी एवं सामान्य नागरिकों का हिस्सा 25 प्रतिशत है। मेसर्स सेल के 5 इटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट और 3 स्पेशल स्टील प्लान्ट के अलावे झारखण्ड एवं देश भर में कई लौह अयस्क के खदान हैं जिनके द्वारा मेसर्स सेल के विभिन्न प्लान्टों में लगातार लौह अयस्क खनिज की आपूर्ति की जाती है।

इस संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज खनन पट्टा, चिरिया में अवस्थित अंकुआ आर०एफ० के Compartment No A-25, A-28 to A-30 and A-40 to A-41 कुल रकबा 609.554 Ha. (Coparising an area of 1506.24 Acr.) में धारित Sukri-lutuburu लौह अयस्क/मैंगनीज खनन पट्टा के मूल खनन पट्टा की स्वीकृति तत्कालीन IISCO को 22.03.1949 से 21.03.1979 तक 30 वर्षों के लिए दी गयी थी।

पत्रांक 589/एम०  
दिनांक 25/06/2019  
540 P  
26/06/19

(66)

इस खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण अगले 30 वर्ष अर्थात् 22.03.1979 से 21.03.2009 तक की स्वीकृति हेतु दिनांक 20.03.1978 को नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया था। पट्टेधारी द्वारा दाखिल प्रथम नवीकरण आवेदन को राज्य सरकार के आदेश पत्रांक 1698/एम० दिनांक 15.12.2004 (Annexure-II) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। सर्वश्री IlSCO द्वारा राज्य सरकार के उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध माननीय खान न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में अपील संख्या 6/(3)/2005-RC-I दायर किया गया। माननीय खान न्यायाधिकरण के आदेश संख्या 35/2005 दिनांक 09.11.2005 (Annexure-III) द्वारा राज्य सरकार के अस्वीकृति आदेश को Quash करते हुए मैसर्स सेल के नवीकरण आवेदन पर पुनः विचार करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा माननीय खान न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 09.11.2005 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में रिट पीटिशन दाखिल किया गया। मैसर्स सेल द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष एक पीटिशन दायर करते हुए अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट द्वारा दाखिल रिट आवेदन स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट से क्वैरिजिडिन्स नहीं लिया गया है। चूंकि यह मामला राज्य सरकार एवं पी०एस०यू० के बीच का है अतएव इस मामले के निष्पादन हेतु हाई कोर्ट के समक्ष मामला रखने की अनुमति देने का अनुरोध मैसर्स सेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.9.2007 द्वारा मैसर्स सेल के पीटिशन को अस्वीकृत कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.9.2007 के विरुद्ध मैसर्स सेल द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०एल०पी० के माध्यम से अपील दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.01.2008 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में लंबित प्रोसेडिंग पर रोक लगा दिया गया। मैसर्स सेल द्वारा बाद में झारखण्ड सरकार के साथ हुए वार्ता के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल एस०एल०पी० को वापस ले लिया गया एवं इस खनन पट्टा के द्वितीय नवीकरण अगले 20 वर्ष के लिए दिनांक 11.03.2008 को दायर किया गया जो विभागीय स्तर पर लंबित रहा।

इस क्रम में वर्ष 2015 में MMDR Amendment Act, 2015 के Section 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिसूचना दिनांक 3.12.2015 के द्वारा The Mineral (Mining by Govt. Company) Rules 2015 (in short MMGC Rule 2015) लागू किया गया है जिसके द्वारा सभी सरकारी कंपनी एवं निगम के खनन पट्टा अवधि को निर्धारित किया जाता है। MMGC Rule 2015 के प्रावधानों के अनुसार 12.1.2015 के पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टों की अवधि पट्टा स्वीकृति की तिथि से 50 वर्षों के लिए स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। उक्त खनन पट्टा के समाप्ति की तिथि से कम से कम 12 महीने पूर्व अगर नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया है तो उक्त खनन पट्टा की अवधि अगले 20 वर्षों के लिए स्वतः विस्तारित मानी जाएगी।

MMGC Rule 2015 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार Sukri-lutuburu खनन पट्टा की अवधि इसके प्रथम स्वीकृति की तिथि दिनांक 22.03.1949 से 50 वर्ष अर्थात् 21.03.1999 तक स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। मैसर्स सेल द्वारा तत्कालीन प्रभावित नियमों के आलोक में प्रथम नवीकरण आवेदन विहित अवधि में दिनांक 20.03.1978 को दाखिल किया गया जो MMDR Amendment Act, 2015 के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 12.01.2015 तक लंबित रहा। अतएव MMGC Rule 2015 के नियम 3(3) के आलोक में उक्त खनन पट्टा की अवधि 22.03.1999 से अगले 20 वर्ष अर्थात् 21.03.2019 तक विस्तारित मानी जाएगी। MMGC Rule 2015 के नियम के अनुसार इस खनन पट्टा की विस्तारित अवधि दिनांक 21.03.2019 का समाप्त हो गया है। मैसर्स सेल द्वारा



65

निम्नानुसार इस खनन पट्टा की अवधि दिनांक 22.03.2019 से अगले 20 वर्ष अर्थात् 21.03.2039 तक विस्तारित करने हेतु दिनांक 11.03.2008 को नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया है।

यह खनन पट्टा द्वितीय नवीकरण आवेदन लंबित रहने के कारण Non-Working रहा है। इस संवध में पट्टेधारी द्वारा यह प्रतिकेदित किया गया है कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, एम०सी० डिभिजन के पत्र दिनांक 07.3.2011 (*Annexed as annexure IV*) द्वारा Renewal of diversion of 194.312 ha. Of broken up forest land and diversion of 400.763 ha. of additional forest land (Total lease area 2376.122 ha) in favour of M/s SAIL in its Manoharpur group of mining lease in Chiria of Saranda Forest Division in West Singhbhum district of Jharkhand इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि *"Over the next 20 Years, only 25% of the total forest area being diverted (equivalent to 595.075 ha.) will be broken up, though the entire mine lease covering 2376.122 ha. Of Forestland will remain with SAIL, as at present."*

MMDR Act, 1957 के धारा 6(1)(b) के अन्तर्गत किसी पट्टेधारी को 10 Sq. Km से अधिक के खनन पट्टा हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। झारखण्ड राज्यान्तर्गत सर्वश्री सेल के कुल 12 लौह अयस्क खनन पट्टों का कुल क्षेत्रफल लगभग 69.334 Sq. Km है और इन्हें भारत सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2018 (*Annexure-V*) के तहत 75 Sq. Km. का Relaxation दिया गया है।

भारत सरकार, Ministry of Environment and Forest, IA Division के पत्र संख्या J-11015/247/2009-IA.II(M), Dated 10.06.2013 द्वारा मेसर्स सेल, Sukri-lutuburu खनन पट्टा को 0.75 Million Tonnes का Environment Clearance प्राप्त है। (*EC Annexed as annexure VI*) भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो के पत्र संख्या RAN/WSB/Fe/MP-17/2018-19 Dated 28.01.2019 द्वारा मेसर्स सेल, Sukri-lutuburu खनन पट्टा के Mining Plan का अनुमोदन प्राप्त है। (*Annexed as annexure VII*)

अतः मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/EDI/c(RMD)/ 8773 dated 14.02.2018 जो सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को संबोधित है की छाया प्रति अन्य सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, विरिया में अवस्थित Sukri-Lutuburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेन्ट नं० A-25, A-28 to A-30 and A-40 to A-41 कुल रकबा 609.554 Ha. (Comprising an area of 1506.24 Acr.) का अवधि विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रुल्स 2015 के आलोक में 21.03.2039 तक करने हेतु विभागीय स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,



उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



झारखण्ड सरकार

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम का कार्यालय, चाईबासा।  
(खनन शाखा)

प्रेषक,

सेवा में,

विषय :-

प्रसंग :-

महाशय,

उपायुक्त  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

निदेशक खान,  
खान एवं भूतत्व विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

Application for extension of Mining Lease Period of 3.18 Sq Mile Mining Lease (McLellan-Budhaburu) comprising an area of 823.617 Ha. in the District of West Singhbhum, as per the provisions of Mineral (Mining by Govt. Company) Rules, 2015.

मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/RP&E/19/84 dated 07.03.2019

उपर्युक्त विषयक, कृपया प्रासंगिक पत्र (Annexure-I) का अवलोकन किया जाय जो सीधे सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को संबोधित है एवं जिसकी प्रति दिनांक 13.03.2019 को जिला खनन कार्यालय, चाईबासा को प्राप्त कराया गया है। मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, घिरिया में अवस्थित McLellan-Budhaburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेन्ट नं० A-10 to A-13, A-19 to A-22 and A-27 to A-28 कुल रकबा 3.18 Sq. Mile (Coparising an area of 823.617 Ha.) का अवधि विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रूल्स 2015 के आलोक में 07.12.2035 तक करने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स सेल द्वारा सूचित किया गया है कि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि० कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2(45) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत एवं अन्य शेयर होल्डर, सेल के कर्मचारी एवं सामान्य नागरिकों का हिस्सा 25 प्रतिशत है। मेसर्स सेल के 5 इटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट और 3 स्पेशल स्टील प्लान्ट के अलावे झारखण्ड एय देश भर में कई लौह अयस्क के खदान हैं जिनके द्वारा मेसर्स सेल के विभिन्न प्लान्टों में लगातार लौह अयस्क खनिज की आपूर्ति की जाती है।

इनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि MMDR Amendment Act, 2015 के Section 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधिसूचना दिनांक 3.12.2015 के द्वारा The Mineral (Mining by Govt. Company) Rules, 2015 (in short MMGC Rule 2015) लागू किया गया है जिसके द्वारा सभी सरकारी कंपनी एवं निगम के खनन पट्टा अवधि को

पत्रांक 590 / एम०  
दिनांक 25.06.2019  
5.45 P.M.  
26/06/19

निर्धारित किया जाता है। MMGC Rule 2015 के प्रावधानों के अनुसार 12.1.2015 के पूर्व स्वीकृत सभी खनन पट्टों की अवधि पट्टा स्वीकृति की तिथि से 50 वर्षों के लिए स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। उक्त खनन पट्टा के समाप्ति की तिथि से कम से कम 12 महीने पूर्व अगर नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया है तो उक्त खनन पट्टा की अवधि अगले 20 वर्षों के लिए स्वतः विस्तारित मानी जाएगी।

मेसर्स सेल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि MMGC Rule 2015 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार Mclellan-Budhaburu खनन पट्टा की अवधि इसके प्रथम स्वीकृति की तिथि दिनांक 08.12.1945 से 50 वर्ष अर्थात् 07.12.1995 तक स्वतः स्वीकृत मानी जाएगा। मेसर्स सेल द्वारा तत्कालीन प्रभावित नियमों के आलोक में प्रथम नवीकरण आवेदन विहित अवधि में दाखिल किया गया अतएव MMGC Rule 2015 के नियम 3(3) के आलोक में उक्त खनन पट्टा की अवधि 08.12.1995 से अगले 20 वर्ष अर्थात् 07.12.2015 तक विस्तारित मानी जाएगी। मेसर्स सेल द्वारा इस खनन पट्टे के द्वितीय नवीकरण हेतु नियमानुसार विहित अवधि में दिनांक 16.11.2004 को द्वितीय नवीकरण आवेदन दाखिल किया गया जो MMDR Amendment Act, 2015 के लागू होने की तिथि 12.01.2015 तक लंबित रहा अतएव उक्त नवीकरण आवेदन दिनांक 16.11.2004 को अगले 20 वर्षों के अवधि विस्तार दिनांक 08.12.2015 से 07.12.2035 तक से संबंधित आवेदन माना जाएगा। मेसर्स सेल द्वारा MMDR Amendment Act, 2015 एवं MMGC Rule 2015 के प्रावधानों के तहत पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर लौह अयस्क एव मैंगनीज खनन पट्टा, चिरिया अन्तर्गत अकुआ सुरक्षित वन, Compartment No. A-10 to A-13, A-19 to A-22 and A-27 to A-28 कुल रकबा 3.18 Sq. Mile (Coparising an area of 823.617 Ha.) में धारित Mclellan-Budhaburu खनन पट्टा के अवधि विस्तार 07.12.2035 तक करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एव मैंगनीज खनन पट्टा, चिरिया में अवस्थित अकुआ आर०एफ० के Compartment No. A-10 to A-13, A-19 to A-22 and A-27 to A-28 कुल रकबा 3.18 Sq. Mile (Coparising an area of 823.617 Ha.) में धारित Mclellan-Budhaburu लौह अयस्क/मैंगनीज खनन पट्टा के मूल खनन पट्टा की स्वीकृति तत्कालीन IISCO को 08-12-1945 से 07.12.1975 तक 30 वर्षों के लिए दी गयी थी।

इस खनन पट्टा के प्रथम नवीकरण की स्वीकृति 08.12.1945 से 07.12.2005 तक 30 वर्षों के लिए दी गई।

इस खनन पट्टा के द्वितीय नवीकरण आवेदन दिनांक 08.12.2005 से 07.12.2025 तक अर्थात् अगले 20 वर्षों के लिए दिनांक 16.11.2004 को दाखिल किया गया जो विभागीय स्तर पर लंबित रहा। वर्ष 2015 में MMDR Amendment Ordinance 2015 की धारा 8A(8) एवं भारत सरकार, खान नंत्रालय का आदेश संख्या- 1/2/2015-M.VI, दिनांक 06.02.2015 के आलोक में सरकार के संयुक्त सचिव, खान एवं मूलत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक 518/एम०, राँची, दिनांक-18.3.2015 द्वारा इस खनन पट्टा का अवधि विस्तार 31.3.2020 तक किया गया। (झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक 518/एम०, राँची, दिनांक-18.3.2015 Annexure-II attached)


यह खनन पट्टा द्वितीय नवीकरण आवेदन लंबित रहने के कारण Non-Working रहा है। इस संबंध में पट्टेधारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, एफ०सी० डिभिजन के पत्र संख्या F.No.8-70/2009-FC दिनांक 07.3.2011 (*Annexed as annexure III*) द्वारा Renewal of diversion of 194.312 ha. Of broken up forest land and diversion of 400.763 ha. of additional forest land (Total lease area 2376.122 ha) in favour of M/s SAIL in its Manoharpur group of mining lease in Chiria of Saranda Forest Division in West Singhbhum district of Jharkhand इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि "Over the next 20 Years, only 25% of the total forest area being diverted (equivalent to 595.075 ha.) will be broken up, though the entire mine lease covering 2376.122 ha. Of Forestland will remain with SAIL, as at present."

MMDR Act, 1957 के धारा 6(1)(b) के अन्तर्गत किसी पट्टेधारी को 10 Sq. Km से अधिक के खनन पट्टा हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। झारखण्ड राज्यान्तर्गत सर्वश्री सेल के कुल 12 लौह अयस्क खनन पट्टों का कुल क्षेत्रफल लगभग 69.334 Sq. Km है और इन्हें भारत सरकार के आदेश दिनांक 26.02.2018 (*Annexed as annexure IV*) के तहत 75 Sq. Km का Relaxation दिया गया है।

भारत सरकार, Ministry of Environment and Forest, IA Division के पत्र संख्या J-11015/249/2009-IA.II(M), Dated 23.03.2011 द्वारा मेसर्स सेल, Mclellan-Budhaburu खनन पट्टा को 4.2 Million Tonnes का Environment Clearance प्राप्त है। (*EC Annexed as annexure V*) भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो के पत्र संख्या KOL/SB(W)/Fe/MP-598 Dated 27.05.2016 द्वारा मेसर्स सेल, Mclellan-Budhaburu खनन पट्टा के Mining Plan का अनुमोदन प्राप्त है। (*Annexed as annexure VI*)

अतः मेसर्स सेल RAW MATERIALS DIVISION का पत्र Ref. No. RMD/K/RP&E/19/84 dated 07.03.2019 जो सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को संबोधित है की छाया प्रति अन्य सभी अनुलग्नकों सहित संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मेसर्स सेल द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर लौह अयस्क एवं मैंगनीज माईन्स, चिरिया में अवस्थित Mclellan-Budhaburu खनन पट्टा क्षेत्र, कम्पार्टमेंट नं० A-10 to A-13, A-19 to A-22 and A-27 to A-28 कुल रकबा 3.18 Sq. Mile (Coparising an area of 823.617 Ha.) का अति विस्तार एम०एम०डी०आर० एक्ट, 2015 एवं एम०एम०जी०सी० रूल्स 2015 के आलोक में 07.12.2035 तक करने हेतु विभागीय स्तर पर समुचित निर्णय लिया जा सकता है।

विश्वासभाजन,



उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

**झारखण्ड सरकार**  
**उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग**

पत्रांक-ख०नि०(चाईबा०)-44/05

/एम०, रौंची, दिनांक-

सेवा में,

उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

**विषय:-** पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-बुधाबुरु (धोबिल) के 513.036 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टा क्षेत्र में से 29.411 हे० क्षेत्र पर खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

**प्रस्ताव :-** (i) उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को पत्रांक-386/एम०, दिनांक-27.02.2018  
(ii) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-20.10.2014 की मद संख्या-30 द्वारा द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति।  
(iii) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-06.03.2018 की मद संख्या-12 द्वारा अवधि विस्तार की स्वीकृति।

**आदेश:-** पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-बुधाबुरु (धोबिल) के 513.036 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० को खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3 के तहत उक्त खनन पट्टा की मूल अवधि दिनांक-08.03.1948 से दिनांक-07.03.1998 तक की होगी। वृत्ति मंत्रिपरिषद के मद संख्या 30, दिनांक-20.10.2014 को आवेदक कम्पनी के आवेदन दिनांक-06.03.1997 को प्रस्तुत किये गये द्वितीय नवीकरण की स्वीकृति 29.411 हे० क्षेत्र पर दिनांक-08.03.1998 से 20 वर्ष अर्थात् दिनांक-07.03.2018 तक की गई है। अतएव खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3 (2) के तहत विषयांकित लौह अयस्क खनन पट्टा की अवधि विस्तार की स्वीकृति दिनांक-08.03.2018 से दिनांक-07.03.2038 तक के लिए 29.411 हे० क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-06.03.2018 मद संख्या-12 में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित शर्तों एवं बंधों पर प्रदान की जाती है।

- i. जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० द्वारा धारित लौह अयस्क खनन पट्टों पर पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक मात्रा में उत्खनन करने के बावत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 114/2014, कॉमन कॉरज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-02.08.2017 के आलोक में निर्गत मौग पर भुगतान सर्वश्री सेल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रौंची में दाखल शेट याचिका संख्या-W.P.(C) No. 7016/2017 में पारित आदेश के फलफल से प्रभावित होगा।
- ii. सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० को पं० सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-बुधाबुरु (धोबिल) के 513.036 हे० क्षेत्र में 29.411 हे० क्षेत्र पर नू भूमि अपयोजन के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तावित प्राप्त है। शेष क्षेत्र पर खनन कार्य पर्यावरण को एक जलवायु परिवर्तन संकेतक से का भूमि अपयोजन अनुदान, पर्यावरण स्वीकृति तथा सीमा क्षेत्र में से निर्यात निर्यात खनन पट्टा का अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा।

- iii. आवेदक कम्पनी को Minerals (Other than atomic & Hydro carbon Energy Minerals) Concession Rule, 2016 के नियम-8 के तहत Schedule-VII में पट्टा शर्तों का निष्पादन करना होगा, जिसमें निर्गत संबंधित सभी शर्तों/ बंधनों/ पत्रों/ आदेशों/ मार्गदर्शन/ निर्देश/ अनुदेश/ सकल्प/ अधिसूचना आदि का समावेश किया जाना होगा।
- iv. आवेदक कम्पनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 एवं खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के नियमों/ प्रावधानों एवं समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार देय स्वामित्व, नियत लगान आदि का भुगतान करना होगा।
- v. आवेदक कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं समय-समय पर संशोधित दर के अनुसार भूतल लगान का भुगतान करना होगा एवं 10,000/- (दस हजार) की प्रतिभूति शर्त एवं समय-समय पर संशोधित दर से प्रतिभूति रकम का भुगतान करना होगा।
- vi. आवेदक कम्पनी को स्वीकृत वन अनापत्ति/पर्यावरणीय स्वीकृति/C.T.O./ अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं माईनिंग प्लोजर प्लान आदि में निहित शर्तों एवं बंधनों का अनुपालन करना होगा।
- vii. आवेदक कम्पनी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, खनिज समनुदान नियमावली, 2016, खनिज संरक्षण विकास नियमावली, 1988/2017, खनिज अधिनियम, 1952, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, Water (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1974, एवं The Air (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1981, Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA Act) /Minimum Wages Act, 1948, Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 एवं अन्य सुसंगत नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत शर्तों/बंधनों/पत्र/आदेश/ मार्गदर्शन/ निर्देश/ अनुदेश/ सकल्प/ अधिसूचना आदि के अनुसार खनन कार्य करना होगा एवं उनके तहत तय मादपण्ड के अनुसार खनन कार्य करना होगा।
- viii. भूमि उर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन एवं उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के सुसंगत धाराओं के प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- ix. पट्टाधारों को खनन कार्य की निगरानी के लिए विनरल कंजरभेशन एण्ड लेभलपर्मिट रूल्स के अनुसार योग्यता प्राप्त खनन अभियंता (माईनिंग इंजिनियर) अथवा भूतलवेत्ता (जियोलाजिस्ट) की नियुक्ति अनिवार्यतः करनी होगी।
- x. अगर रैयतों की आपत्ति के कारण पट्टाधारी क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं तो वे लगान की माफों के लिए सरकार से न तो दावा करेंगे और न इसका लिए किसी तरह का उनका कोई दावा मान्य होगा।
- xi. यदि खनिज का स्वामित्व किसी कोर्टे और श्रेणी पर निर्धारित है पर पट्टाधारी उसी सर्वोच्च कोर्टे का घोषित करता है तो किसी प्रकार की जांच प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- xii. यदि पट्टाधारी खनिज को विनियम कोर्टे का घोषित करता है तो उसके इन मामलों का आता प्रमाण पत्र राजकीय गृहसचिव, प्रशासनिक प्रशासन, राजकीय कोर्टे के पास भेजना होगा। खनिज के विनियमन में कोई परिवर्तन हो करने कम्पनी को सूचित किया जाएगा।

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि प्रेषित किया गया समस्त खनिज सर्वोच्च कोटि का है।

- xiii. प्रासंगिक अधिनियम या इसके अंतर्गत नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य नियम में उल्लिखित प्रावधानों के रहते हुए भी राज्य सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी भी लगान, स्वामिस्व या शुल्क (खनिज समनुदान नियमावली, 2016 के नियम- 49) या अधिनियम या इन नियमों या अन्य किसी खनन पट्टा की शर्तों के अंतर्गत सरकार की बकाया अन्य राशि पर सरकार द्वारा भुगतान के लिए निश्चित की गयी तिथि के 60 दिनों के भीत जाने की तिथि से साधारण रूप से सरकार तब तक बसूल कर सकती है जबतक स्वामिस्व लगान, शुल्क या अन्य राशि का भुगतान नहीं हो जाता है।
- xiv. यह पट्टा झारखण्ड राज्य के 40 सिंहभूम जिले के मुख्यालय चाईबासा में भारत के संविधान के अनुच्छेद- 226 के उपबंध के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाएगा और पट्टे के अधीन आनेवाले क्षेत्र पट्टे के शर्तों पट्टे के अधीन तसूली और पट्टेदार व पट्टाकर्ता द्वारा यह करार किया जाता है कि पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र के पट्टों की शर्तों योग्य और पट्टेदार व पट्टाकर्ता के बावत सभी विषय के संबंध में किसी विवाद की दशा में वाद अपील चाईबासा के सिविल न्यायालय में अथवा याचिका झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर की जाएगी। ऊपर नामित न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर कोई पक्ष वाद या अपील दायर नहीं करेगा या कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
- xv. खनन कार्य से संबंधित भूमि के संबंध में आवेदक तथा रैयतों के बीच कोई भी समब्यवहार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। यदि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत पदाधिकारी की पूर्वानुमति से पट्टाधारी को रैयत द्वारा अपनी जमीन निर्धारित रकम पर बेच दी जाती है तथा संबंधित भूमि का रैयती अधिकार पट्टाधारी के नाम हस्तान्तरित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रैयतों को अनुमान्य मुआवजा देय होगा। संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रैयत द्वारा पट्टाधारी के पक्ष में जमीन का विक्रय वैध एवं उचित है तथा पट्टाधारी द्वारा देय क्रय की राशि पर्याप्त एवं उचित है।
- xvi. खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3 के उप नियम (2) के हिन्दी एवं अंग्रेजी में रूपान्तरित प्रावधान की भिन्नता पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने के उपरान्त ही खनन पट्टे का निष्पादन किया जायेगा।
- xvii. खनन पट्टे के संविदा निष्पादन के पूर्व स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- xviii. खनिज अनुदान की स्वीकृति के संबंध में समय समय पर संशोधित/लागू/निर्गत अधिनियम/नियम/नियमावली/परिपत्र/मार्गदर्शन/संकल्प/अनुदेश के आलोक में संबंधित उपायुक्त द्वारा विधि सम्मत अतिरिक्त शर्त जोड़े जा सकेंगे।
2. निष्पादित एवं निबंधित पट्टे के तीन प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र भेजीं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

४०/-

(अबुबकर सिदीख पी०)

खान आयुक्त-सह विशेष अधिकारी

झारखण्ड सरकार  
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

जापाक-ख०नि०(चाईबासा)-44/05

586

/एम०, रौंची, दिनांक 7/3/18

प्रतिलिपि - डायरेक्टर जेनरल ऑफ माईन्स रोफटी, धनबाद/कट्टोलर जेनरल,  
इण्डियन ब्यूरो ऑफ माईन्स, नामुपर/उप निदेशक, खान, कोल्हान अंचल, चाईबासा/जिला  
खान पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावा/प्रधानद मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रौंची/  
संशोधन स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि०, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक करिवाई  
हेतु प्रेषित।

खान आयुक्त-सहायक विशेष सचिव

झारखण्ड सरकार  
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक - बी.एम. 6-1082/92  
प्रेषक.

1594 / एम0, राँची, दिनांक-29-06-17

सुनील कुमार वर्णवाल  
सरकार के सचिव,  
उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

विषय:- खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 के नियम 3(1) के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-अंकुआ में सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा धारित लौह अयस्क खनिज खनन पट्टा (कुल रकबा -67.178 हे0) के अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,  
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28.12.2016 को मद संख्या-28 में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-8A(8) के तहत खनन पट्टों के अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया था। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-46/एम0, दिनांक-07.01.2017 द्वारा अवधि विस्तार का निर्णय संसूचित है।

2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-8A(8) के तहत खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियम, 2015 अधिसूचित है। अतः उक्त नियम के उपनियम 3(1) के तहत सर्वश्री स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0 द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-अंकुआ में धारित लौह अयस्क खनन पट्टा (कुल रकबा -67.178 हे0) के अवधि विस्तार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

खनन पट्टे का अवधि विस्तार में विभागीय पत्रांक 46/एम0, दिनांक-07.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) में विहित शर्त प्रभावी होगी।

4. निष्पादित एवं निबंधित अनुपूरक पट्टा सविदा विलेख की एक प्रति विभाग को 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासमानजन,

(सुनील कुमार वर्णवाल)

आपांक :- 1114

दिनांक :- 05.07.2017

प्रतिष्ठित:- महाप्रबन्धक, भू-संसाधन और माई-से (निरीक्षण) प्रमुख  
सेल की सूचनाएं। अनुरोध है कि अवधि विस्तार अनुपूरक  
पत्रांक-46/एम0 प्रारूप, माई-से टिप्पण एवं अधिनियम संशोधन  
पत्रांक-46/एम0 वत्र अतिरिक्त त्रयार्थक प्रमाणित करें ताकि  
अवधि विस्तार की जा सके।

03/07/17  
जिला सचिव पश्चिमी सिंहभूम  
चाईबासा।



impacted  
in relation

03/07/17  
SA